भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 - 1145
उत्तर देने की तारीख - 23 मार्च, 2012

दूरसंचार कंपनियों के लाइसेंसों को रद्द किया जाना

1145. श्री शिवानन्द तिवारी :
श्री रवि शंकर प्रसाद :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक अनियमितताओं के कारण किये गये भ्रष्टाचार के आरोप में दूरसंचार कंपनियों के 122 लाइसेंसों को चार महीने के अन्दर रद्द करने का निर्देश दिया था ;
(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या है और क्या यह भी सच है कि सरकार ने चार माह में इन लाइसेंसों को रद्द करने में असमर्थता प्रकट की है ;
(ग) यदि हां, तो तथ्य क्या है और ऐसा करने में सरकार की असमर्थता के क्या कारण हैं ; और
(घ) क्या सरकार की इस असमर्थता के कारण भ्रष्ट तत्व लंबे समय तक सक्रिय रहेंगे ?

उत्तर
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिब्बल)

(क) जी, हां। जनहित याचिका केंद्र और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में वर्ष 2010 की रिट याचिका (सिविल) सं0 423 और डॉ0 सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं0 10 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में, अन्य बातों के साथ, उल्लेख किया है कि *"दिनांक 10.01.2008 को जारी दो प्रेस विज्ञप्तियों के अनुसरण में दिनांक 10.01.2008 को या इसके बाद निजी प्रतिवादियों को प्रदान किए गए लाइसेंस और लाइसेंसधारकों को इसके बाद किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन को अवैध घोषित किया जाता है और रद्द किया जाता है। उपर्युक्त निदेश चार महीने बाद लागू होगा।"*

सर्वोच्च न्यायालय के कतिपय महत्वपूर्ण निरूपण निम्नानुसार हैं :-

(i) चूंकि पहले आओ-पहले पाओ नीति में पूर्ण संयोग या आकस्मिकता का तत्व विद्यमान है अतः यह मूलतः दोषयुक्त नीति है।
(ii) प्राकृतिक संसाधनों को हस्तांतरित करते या किसी को सौंपते समय, राज्य व्यापक जन प्रचार के माध्यम से नीलामी की पद्धति अपनाने के लिए बाध्यकर है ताकि सभी पात्र व्यक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकें।
(iii) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के नेतृत्व में सितंबर, 2007 और मार्च, 2008 के बीच दूरसंचार विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला होने के साथ-साथ पूर्णतः स्वेच्छाचारी, अनियमित और जनहित के विपरीत था।

(ख) से (घ) सरकार ने किसी निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंसों को रद्द करने में अपनी असमर्थता प्रकट नहीं की है। तथापि, सरकार ने कम से कम 400 दिनों की अवधि तक के प्रस्तावित नीलामी कार्यक्रम को ध्यानार्थ प्रस्तुत करते हुए और यह उल्लेख करते हुए कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार लाइसेंसों को रद्द करने और नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बीच कुछ समय लगेगा उच्चतम न्यायालय में दिनांक 1 मार्च, 2012 को मध्यवर्ती आवेदन दायर किया जिसके तहत माननीय न्यायालय से उनके दिनांक 02.02.2012 के आदेश को लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए थे।

***